न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010044582022

Criminal Revision/154/2022

1. मो० चाँद
2. अनवर अली
3. हजरत अली
4. मो० रजा

पुत्रगण शौकत अली, समस्त निवासीगण ग्राम–बर्डपुर नं०–13, टोला–कल्यानपुर, थाना व जिला–सिद्धार्थनगर।

–––निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सरकार उ०प्र०
2. शफीकुन्निशा पत्नी इस्माइल निवासी बर्डपुर नं०–14, टोला–नौगढ़, पश्चिम, जवाहर नगर, थाना व जिला–सिद्धार्थनगर।

परिवादिनी/विपक्षी

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, फौजदारी परिवाद सं०–1048/2021, शफीकुन्निशा बनाम अनवर अली आदि, में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित–14.11.2022 के विरुद्ध निगरानीकर्तागण उपरोक्त के द्वारा संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में निगरानीकर्तागण का कथन है कि आदेश दिनांक–14.11.2022 खिलाफ कानून व खिलाफ असलियत के है। खारिज होने योग्य है, क्योंकि उक्त आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने परिवाद पत्र व 200 सी.आर.पी. सी. व साक्षी के 202 के मौखिक बयान पर कत्तई गौर नहीं किया है। सरसरी तौर पर बिना विचार किये आदेश पारित कर दिया गया है। प्रार्थी मो० चाँद पुत्र शौकत अली से परिवादिनी अपने गाटा सं0–1457/0.1015 हे० में से डेढ़ मण्डी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–233 एन०एच० के सटे सड़क पर विक्रय करने हेत 9 लाख रूपये में माह जुलाई 2019 में बात की थी तथा बयाना के रूपये दो लाख पांच हजार रू० कई गवाहों के बीच लेकर उक्त जमीन भी प्रार्थी निगरानीकर्ता को कब्जा भी दे दी थी। उसके बाद प्रार्थी निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि पर सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल भी करा लिया था तथा रजिस्ट्री बैनामा माह सितम्बर 2019 तक 6 लाख 95 हजार रूपये प्राप्त करके परिवादिनी विपक्षी को रजिस्ट्री करना था किन्तु परिवादिनी विपक्षी के द्वारा रजिस्ट्री बैनामा प्रार्थी निगरानीकर्ता के पक्ष में नहीं किया जा रहा था जिसके सम्बन्ध में तमाम पंचायतें भी हुई तथा प्रार्थी निगरानीकर्ता ने परिवादिनी / विपक्षी व उनके पति व लड़के से काफी सिफारिश किया कि रजिस्ट्री कर दीजिये, लेकिन पारिवादनी विपक्षी के मन में बेईमानी आ गयी। प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करने लगी अन्य लोगों से पैसा ऐंठने लगी तब प्रार्थिनी / निगरानीकर्ता मुकामी थाना पर दरखास्त दिया जिस पर अ०सं०–184/2021 धारा–406, 419, 420, 452, 504 भा.द.सं. परिवदिनी/विपक्षी के खिलाफ दर्ज हुआ

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.04.18 16:57:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

और चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल भी हो चुका है। उक्त प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज अ०सं०–184/2021 धारा– 419, 420, 406, 452, 504, 506 से बचने के लिए कपोल कल्पित परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत की और उक्त अभियुक्त ही गवाह बनकर प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के विरुद्ध झूठा षड़यंत्र रच कर परिवाद निगरानीकर्ता का रूपया हड़पने के लिए दाखिल किया है। परिवादिनी व साक्षी परिवादनी का लड़का व दामाद के भी बयानों में काफी विरोधाभास है, कत्तई घटना प्रमाणित नहीं होती है। कानूनन प्रत्येक दृष्टि से आदेश दिनांक–14.11.2022 खण्डित होने योग्य है।

3. उक्त निगरानी के समर्थन में दस्तावेजी सूची–5 ख के मध्यम से नकल आदेश दिनांकित–14.11.2022 की प्रमाणित प्रति, 200 दं०प्र०सं० का बयान की प्रमाणित प्रति, 202 दं०प्र०सं० के बयान की प्रमाणित प्रति, एफ०आई०आर० की छायाप्रति एवं छायाप्रति आधारकार्ड दाखिल किया है।

4. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. निगरानी में तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने बिना मष्तिस्क का प्रयोग करते हुए सरसरी तौर पर बिना विचार किये आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुक्रम में है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता को अन्तर्गत धारा–323 भा०दं०सं० में तलब किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश में उल्लिखित है कि बयान अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० व 202 दं०प्र०सं० के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगणों को अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० व 202 दं०प्र०सं० के आधार पर तलब किया गया है। इस स्तर पर साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं होता है। निगरानीकर्ता द्वारा जो कथन किये गये हैं वे ट्रायल के स्तर पर भी साबित किये जा सकते हैं। अतः निगरानी बलहीन है तथा निरस्त होने योग्य है।

आदेश

8. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

9. इस आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक–18.04.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर
J.O. Code- UP 6336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–18.04.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code- UP 6336